

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1972 (फाल्गुन 12, 1993)
No. 1291 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1972, PHALGUNA 12, 1993

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सत्यादी जाती है जिसमें निम्न अलग सत्यादी के रूप में दिया गया है।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 2nd March 1972

S.O. 173(E)/IDRA/19/72/1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the following officers, to exercise the powers specified in clauses (a), (b) and (c) of the said sub-section in so far as they relate to the industrial undertaking, known as, Siv silk Limited, Sirpur, Andhra Pradesh, for the purposes of ascertaining the position and working of the said industrial undertaking namely

1. Shri A. Seethuramiah, Senior Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.
2. Shri S. C. Balna, Regional Director, Company Law Board, Madras.
3. Shri S. Subba Rao, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi.

[No. F. 13/33]/Lic. Pol. 70.]

S. K. SAHGAL, Secy

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

का० आ० 173 (अ)/आई०डी०आर०ए०/10/72/1.—औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 19 को उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त उप-धारा के खण्ड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का, सिरसि क लिमिटेड, सिरपुर, आंध्र प्रदेश नामक औद्योगिक स्थापन के संबंध में, उक्त औद्योगिक उपक्रम के कार्य करण और स्थिति का पता लगाने के प्रयोजन के लिए प्रयोग करने का प्राधिकृत करती है, अर्थात् —

1. श्री ए० सीथारामिया,
ज्येष्ठ औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।
2. श्री एस०सी० बफना,
प्रादेशिक निदेशक,
कम्पनी विधि बोर्ड,
मद्रास ।
3. श्री एस० सुभाराव,
ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी,
वित्त मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।

[स० 10 13(33)/आई० पो०/70]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।